

अतः पत्रावली दिनांक 10/8/23 को पेश हो।  
पूर्व का आदेश अथवा त रहेंगे।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

10.8.23 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपाध्याय वकील आशीशगण को प्राप्ति दिनांक 07 R11 व धारा 151 भा.डी. C.P.C. की प्रति प्रिलायी गई। जवाब क्षयन्दा पेश करना चाहते हैं जवाब हेतु अंतिम अणलर दिया जाता है वास्ते पत्रावली में प्राप्ति 07 R11 व धारा 151 भा.डी. C.P.C. वकील आशीशगण के जवाब/बहस हेतु नियत दिनांक 17.8.23 को पेश हो। आगामी दिनांक तक जारी अख्यार निवेदाणा बहस जाती है।

17.8.23 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपाध्याय वकील आशीशगण को प्राप्ति दिनांक 07 R11 व धारा 151 भा.डी. का जवाब प्रस्तुत किया जिसे शा. 90 दिया जाकर जवाब की प्रति वकील विपक्षी को प्रिलायी गई। उभयपक्षों में प्राप्ति 07 R11 व धारा 151 भा.डी. पर बहस सुनी गई। वास्ते पत्रावली प्राप्ति 07 R11 व धारा 151 भा.डी. के आदेश हेतु नियत दिनांक 24.8.23 को पेश हो। आगामी दिनांक तक जारी अख्यार निवेदाणा बहस जाती है।



तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

24/8/23 प्रजावली पेश हुई। अभ्यक्ष के अधिवक्ता उपण  
पेशेका तहसीलयात माण्डल उपण व हस प्रार्थना  
पत्र 0.7R.11 व चारा 15। CPC पर मूल वाद में  
सुनी गई। प्रार्थना पत्र 0.7R.11 व चारा 15। CPC  
की जात किया जाकर मूल वाद खारिज किया  
जा चुका है। प्रार्थना पत्र चारा 2। 2RTA वादके  
अभाव में चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना  
पत्र चारा 2। 2RTA में भी कार्यवाही इसी स्तर  
पर समाप्त की जाती है। प्रजावली केवल  
शुमार होकर गन्वा से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा